2013/00018

(4)

न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर केम्प कोर्ट बायतु

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 06/2013

| अपीलांटस | बनाम | रेस्पोडेंटस |
|---|---|---|
| 1.बागाराम पुत्र चौखाराम<br>2.चिमाराम पुत्र घमण्डाराम<br>3.खेताराम पुत्र घमण्डाराम<br>4.मुस्मात कालू बेवा घमण्डाराम<br>जाति जाट निवासी बायतु | | 1.देदाराम पुत्र चौखाराम<br>जाति जाट निवासी कोलू<br>तहसील बायतु<br>2.तहसीलदार बायतु |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 16.2.2008 द्वारा तहसीलदार बायतु

उपस्थित– 1.अपीलांटस संख्या 01 से 03 मय अधिवक्ता श्री विष्णू चौधरी उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 01 अनुपस्थित
3. रेस्पोंडेंट संख्या 2 की ओर से श्री संदीप अरोड़ा तहसीलदार बायतु

आदेश दिनांक 27.5.2016

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 713, 722, 737 गैर मुमकीन, खसरा नंबर 734, 735 व 736 टांका, बाड़ा व ढाणी कुल रकबा 171 बीघा 04 बिस्वा ग्राम कोलू तहसील बायतु में आई है। उक्त तीनों खेतो पर क्रमशः 713, 722 व 737 में तीनों ही भाईयों का आपसी सहमति से किये विभाजन अनुसार काश्त कब्जा है। पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर काश्त करते आ रहे है तथा अपनी–अपनी आवासीय ढाणियॉ बनी हुई है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट सं. 01 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार बायतु के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। जिस पर तहसीलदार बायतु ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.2.2008 द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति का प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दिया। उक्त आदेश

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कोर्ट केम्प बायतु में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई है। अपीलांटस संख्या 01 से 03 उपस्थित हुए। रेस्पोडेंटस संख्या 01 अनुपस्थित रहे। अपीलांट्स के अधिवक्ता उपस्थित रहे तथा रेस्पोडेंटस संख्या 01 के अधिवक्ता अनुपस्थित। रेस्पोडेंटस संख्या 02 की ओर से श्री संदीप अरोड़ा, तहसीलदार बायतु उपस्थित रहे।

3. हमने दोनों पक्षो की बहस सुनी। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि मौजा कोलू के खसरा नंबर 713, 722, 737 गैर मुमकीन, खसरा नंबर 734, 735 व 736 क्रमशः टांका, बाड़ा आदि पर बराकर का हिस्सा है। इसी आराजी को पक्षकार आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर काश्त करते आ रहे है तथा पृथक–पृथक आवासीय ढाणियॉ खसरा नंबर 737 में बनी हुई है। पक्षकार तीनों भाईयो के मध्य कब्जानुसार हिस्सानुसार संयुक्त खातेदारी का रेकर्डेड विभाजन का प्रस्ताव उत्तरदाता संख्या 01 ने रखा, अपीलांट संख्या 01 व 02 से 04 के वालिद स्व. घमण्डाराम ने इस प्रस्ताव को भविष्य के लिए आधा समझते हुए अपनी सहमति दी। पटवारी हल्का द्वारा विभाजन के आवेदन तैयार करते समय भौतिक कब्जा काश्त अनुसार नक्शा नहीं बनाया गया। विभाजन आदेश पक्षकारान के भौतिक कब्जे काश्त अनुसार नहीं है। अपीलांटस का इस विभाजन से रहवासीय ढाणी का आवास पूर्व कब्जा पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है। म्याद के संबंध में इनका तर्क हैं कि उतरदाता संख्या 01 ने विभाजन आदेश की क्रियान्विति लट्टा ट्रेस में अपीलान्ट संख्या 02 से 04 के वालिद घण्डाराम के देहान्त के पश्चात कराया एवं खसरा नंबर 737 में अपने भौतिक कब्जे से अधिक भूमि को अपने हिस्से की होना बताते हुए अपीलान्ट की ढाणियों को उत्तरदाता संख्या 01 ने अपने कब्जे वाले भू भाग में होना बताया जबकि ये ढाणियॉ इसी स्थान पर तब से कायम है जबसे तीनों भाईयों के

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

संयुक्त परिवार का विघटन हुआ। इस पर पटवारी के माध्यम से सीमाज्ञान कराया गया तो मौके पर पटवारी के बताने पर सर्वप्रथम अपीलान्ट को इस विभाजन आदेश का दिनांक 25.3.2013 को वास्तविक ज्ञान हुआ एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश की है। पक्षकारान लोक अदालत में इस प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते है। इसलिये लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए अपीलांटस की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश प्रदान करावें।

4. इसके जवाब में रेस्पोडेंटस संख्या 02 की ओर से तहसीलदार बायतु ने जाहिर किया कि विभाजन आदेश पक्षकारान की सहमति से किया गया था, यदि पक्षकारान मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा करवाना चाहते है, तो उन्हें कोई आपति नहीं है। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क हैं कि पूर्व में जो बंटवाड़ा किया गया था, वह मौके पर कब्जे काश्त के विपरीत किया गया था जिसको निरस्त करवाने में हम सभी पक्षकारान पूर्ण रूप से सहमत है। इसलिये मामला पुनः भौतिक कब्जा काश्त अनुसार रिमाण्ड किया जाता है, तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

5. हमने अपीलांटस अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंटस सं. 2 तहसीलदार बायतु की बहस पर पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार बायतु द्वारा बंटवाड़ा आदेश दिनांक 16.2.2008 को स्वीकृत करने के विरूद्व पेश की है। अपीलांटस व रेस्पोडेंटस की पैतृक भूमि खेत खसरा नंबर 713, 722, 737 गैर मुमकीन, खसरा नंबर 734, 735 व 736 क्रमशः टांका, बाड़ा व ढाणी ग्राम कोलू तहसील बायतु में दर्ज है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार बायतु के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त के अनुसार नहीं है। पक्षकारान द्वारा अपील में अंकित तथ्यों एवं लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त है, उसी अनुसार पक्षकारान ने मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा करने की सहमति जाहिर की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु ने विभाजन विलेख स्वीकृत

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.2.2008 को अपास्त किया जाता है और तहसीलदार बायतु को निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त अनुसार पुनः विधिवत आदेश पारित करें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(ओ.पी.बिश्नाई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश खुले न्यायालय केम्प बायतु में आज दिनांक 27.5.2016 को उपस्थितजनो के समक्ष खुले में सुनाया गया।

अपर कलक्टर बाड़मेर
अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)